



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265698
CG-DL-E-26082025-265698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3785]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947

No. 3785]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3890 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि सिक्किम राज्य के गंगटोक जिले में NH310 के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 23.316 (रानीपूल से बुरटुक) तक के भू-खण्ड के "पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में निर्माण", अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला कलेक्टर सह मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सिक्किम राज्य के गंगटोक जिले में NH310 के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 23.316 (रानीपूल से बुरुटुक) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: सिक्किम			जिले का नाम: गंगटोक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गंगटोक					
गांव का नाम: रावटे रुमटेक					
1	322/P	निजी	डीआर्वाइ फील्ड ऐ	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
2	822/851/P	निजी	ड्राय फील्ड ऐ	0.0199 (हेक्टेयर)	0.0199
गांव का नाम: चिंजे					
3	212/304/P	निजी	बांजो	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
4	212/P	निजी	बांजो	0.0095 (हेक्टेयर)	0.0095
5	213/P	निजी	पैडी फील्ड ऐ	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
6	215/P	निजी	पैडी फील्ड ऐ	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
7	216/P	निजी	बांजो	0.0109 (हेक्टेयर)	0.0109
8	228/P	निजी	पैडी फील्ड ऐ	0.0104 (हेक्टेयर)	0.0104
गांव का नाम: लिंगडम					
9	1978/P	निजी	बांजो	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
10	1988/3327/P	निजी	डीआर्वाइ फील्ड ऐ	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
11	1988/P	निजी	डीआर्वाइ फील्ड ऐ	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
12	1989/P	निजी	डीआर्वाइ फील्ड ऐऐऐऐ	0.0074 (हेक्टेयर)	0.0074
13	2191	निजी	बांजो	0.0554 (हेक्टेयर)	0.0554
गांव का नाम: रांका					
14	337/P	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐ	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
15	338/P	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐ	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
16	339/P	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐ	0.052 (हेक्टेयर)	0.052
17	340/P	निजी	डीआर्वाइ फील्ड	0.02 (हेक्टेयर)	0.02

18	341/P/A	निजी	डीआरवाइ फील्ड ऐऐऐ	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
19	341/P/B	निजी	डीआरवाइ फील्ड ऐऐऐ	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
20	342/P	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐ	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
21	376/P	निजी	डीआरवाइ फील्ड ऐऐऐऐ	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
22	379/P	निजी	डीआरवाइ फील्ड ऐऐऐऐ	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
23	381/647/P/A	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐऐ	0.0836 (हेक्टेयर)	0.0836
24	381/647/P/B	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐऐ	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
25	381/P	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐऐ	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
26	385/P	निजी	कार्डामोम फील्ड	0.039 (हेक्टेयर)	0.039
27	386/P	निजी	कार्डामोम फील्ड	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
28	388/850/P	निजी	बांजो	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
29	395/P	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐऐ	0.146 (हेक्टेयर)	0.146
30	492/P	निजी	बांजो	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
31	493/P	निजी	पैडी फील्ड ऐऐऐ	0.0216 (हेक्टेयर)	0.0216
गांव का नाम: संगतौंग					
32	632/P	निजी	बांजो	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: लुईंग					
33	973/2993/P	निजी	कार्डामोम फील्ड	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
गांव का नाम: परबिंग					
34	206/P	निजी	बांजो	0.0265 (हेक्टेयर)	0.0265
गांव का नाम: पेनलौंग					
35	360/P	निजी	बांजो	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
Total					1.2018

[फा. सं. NH-12012/05/2018/SK/Zone-V/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3890(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for

building "Construction to 2-Lane with paved shoulders", maintenance, management and operation of NH310 in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 23.316 (Ranipool to Burtuk) in the district of Gangtok in the state of SIKKIM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Collector cum Magistrate in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 23.316 (Ranipool to Burtuk Section), of the National Highway No. 310, in the district of Gangtok in the state of SIKKIM.

State: SIKKIM			District: Gangtok		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gangtok					
Village: Rawatey Rumtek					
1	322/P	Private	DRY FIELD I	0.0036 (Hectare)	0.0036
2	822/851/P	Private	Dry field I	0.0199 (Hectare)	0.0199
Village: Chinzey					
3	212/304/P	Private	BANJO	0.019 (Hectare)	0.019
4	212/P	Private	BANJO	0.0095 (Hectare)	0.0095
5	213/P	Private	PADDY FIELD I	0.003 (Hectare)	0.003
6	215/P	Private	PADDY FIELD I	0.032 (Hectare)	0.032
7	216/P	Private	BANJO	0.0109 (Hectare)	0.0109
8	228/P	Private	PADDY FIELD I	0.0104 (Hectare)	0.0104
Village: Lingdum					
9	1978/P	Private	BANJO	0.0126 (Hectare)	0.0126
10	1988/3327/P	Private	DRY FIELD I	0.0054 (Hectare)	0.0054

11	1988/P	Private	DRY FIELD I	0.008 (Hectare)	0.008
12	1989/P	Private	DRY FIELD III	0.0074 (Hectare)	0.0074
13	2191	Private	BANJO	0.0554 (Hectare)	0.0554
Village: Ranka					
14	337/P	Private	PADDY FIELD II	0.13 (Hectare)	0.13
15	338/P	Private	PADDY FIELD II	0.17 (Hectare)	0.17
16	339/P	Private	PADDY FIELD II	0.052 (Hectare)	0.052
17	340/P	Private	DRY FIELD II	0.02 (Hectare)	0.02
18	341/P/A	Private	DRY FIELD II	0.004 (Hectare)	0.004
19	341/P/B	Private	DRY FIELD II	0.003 (Hectare)	0.003
20	342/P	Private	PADDY FIELD II	0.022 (Hectare)	0.022
21	376/P	Private	DRY FIELD III	0.01 (Hectare)	0.01
22	379/P	Private	DRY FIELD III	0.07 (Hectare)	0.07
23	381/647/P/A	Private	PADDY FIELD III	0.0836 (Hectare)	0.0836
24	381/647/P/B	Private	PADDY FIELD III	0.07 (Hectare)	0.07
25	381/P	Private	PADDY FIELD III	0.056 (Hectare)	0.056
26	385/P	Private	CARDAMOM FIELD	0.039 (Hectare)	0.039
27	386/P	Private	CARDAMOM FIELD	0.008 (Hectare)	0.008
28	388/850/P	Private	BANJO	0.004 (Hectare)	0.004
29	395/P	Private	PADDY FIELD III	0.146 (Hectare)	0.146
30	492/P	Private	BANJO	0.004 (Hectare)	0.004
31	493/P	Private	PADDY FIELD II	0.0216 (Hectare)	0.0216
Village: Sangtong					
32	632/P	Private	BANJO	0.01 (Hectare)	0.01

Village: Luing					
33	973/2993/P	Private	Cardamom field	0.025 (Hectare)	0.025
Village: Parbing					
34	206/P	Private	BANJO	0.0265 (Hectare)	0.0265
Village: Penlong					
35	360/P	Private	BANJO	0.03 (Hectare)	0.03
Total					1.2018

[F. No. NH-12012/05/2018/SK/Zone-V/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director